भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 5541
दिनांक 04.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

धोखाधड़ी करने वाले ट्रैवल एजेंट

5541. **कुमारी सैलजाः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर हरियाणा में धोखेबाज ट्रैवल एजेंटों द्वारा युवाओं के बढ़ते शोषण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की धोखेबाज ट्रैवल एजेंटों की गतिविधियों को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रभावित युवाओं के भारत लौटने पर उनके पुनर्वास और पुनर्समेकन के लिए परामर्श, शिक्षा और रोजगार सहायता सहित क्या उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) से (ङ) मंत्रालय को देश में कुछ अवैध/बेईमान भर्ती एजेंटों/एजेंसियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी की गतिविधियों की जानकारी है, जिनमें हरियाणा भी शामिल है।

मंत्रालय को देश में, जिनमें हरियाणा भी शामिल है, में अवैध/बेईमान भर्ती एजेंटों/एजेंसियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी की गतिविधियों के बारे में पता तब चलता है, जब पीड़ित प्रवासी या उनके रिश्तेदार/मित्र, जिन्हें उनके नियोक्ताओं द्वारा धोखा दिया गया हो, शिकायत दर्ज कराते हैं।

जब भी अवैध प्रवास/मानव तस्करी की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो ऐसे मामलों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित अन्य कानूनों के संगत विधिक प्रावधानों के तहत जांच और अभियोजन के लिए राज्य पुलिस को भेजा जाता है। साइबर क्षेत्र में, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस

प्राधिकारियों के सहयोग से अवैध भर्ती एजेंटों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। हरियाणा सहित पूरे भारत से अवैध भर्ती एजेंसियों के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के अनुरोध नियमित रूप से गृह मंत्रालय के साथ साझा किए गए हैं।

मंत्रालय ई-माइग्रेट पोर्टल, सोशल मीडिया हैंडल और प्रचार के अन्य तरीकों के जरिए फर्जी नौकरी गिरोह के खतरों और उन्हें रोकने के तरीकों के बारे में परामर्शी जारी करता है। फरवरी **2025** तक, हरियाणा राज्य सहित पूरे देश में कुल **3,281** अवैध एजेंटों को ई-माइग्रेट पोर्टल पर अधिसूचित किया गया है। मंत्रालय द्वारा हरियाणा सहित पूरे देश में कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों, सूचना सत्रों, डिजिटल अभियानों के आयोजन द्वारा मीडिया समूहों, पुलिस अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन, इच्छुक भर्ती एजेंटों, उद्यमियों और आम जनता के लिए ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से सुरक्षित और वैध प्रवास संबंधी जागरूकता अभियान चलाया गया है।

मंत्रालय विदेशों में रोजगार के क्षेत्र में अवैध एजेंसियों के मुद्दों और उत्प्रवास नियमों के प्रवर्तन से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के तरीकों के बारे में हरियाणा सहित राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से समन्वय करता है। राज्य सरकारों के सहयोग से समय-समय पर विदेश संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मंत्रालय विभिन्न हितधारकों को सुरक्षित और वैध प्रवास के लाभों के बारे में अवगत कराने के लिए नियमित रूप से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है और फर्जी/अपंजीकृत भर्ती एजेंसियों के माध्यम से होने वाले अवैध प्रवास को रोकने के तरीके सुझाता है। अपंजीकृत भर्ती एजेंसियों के संबंध में नियमित सूचना साझा करने के अलावा, राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं। मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नियमित कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं जिनमें मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), सोशल मीडिया पर गैरकानूनी सामग्री का पता लगाने और साइबर धोखाधड़ी की केस स्टडी की जानकारी प्रतिभागियों के साथ साझा की जाती है।

*****